

आधुनिक निगमों या कम्पनियों के क्रियाकलापों में एक महत्वपूर्ण विशेषता विलयन, सम्मिश्रण और अधिग्रहण की प्रक्रिया है जिससे उत्पादन प्रक्रियाओं को संघनित किया जा सके, प्रतियोगिता को दूर किया जा सके और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व एकीकरण से सम्बन्धित लेखांकन प्रक्रियाओं को तीन विभिन्न पहलुओं के आधार पर किया जाता था जिन्हें कम्पनियों का एकीकरण, संविलयन और पुनर्निर्माण कहा जाता था। एकीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान अवधारणा का अध्ययन करने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि इन तीन पहलुओं के परम्परागत अर्थ को समझ लिया जाए।

एकीकरण (Amalgamation)—जब दो या अधिक कम्पनियां समापन में जाती हैं और इनके व्यवसायों को लेने के लिए नई कम्पनी समामेलित की जाती है, तो इसे एकीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, A Ltd. और B Ltd.—जो विद्यमान कम्पनियां हैं, के लिए व्यवसायों को लेने के लिए C Ltd. का निर्माण किया जाता है तो यह एकीकरण का उदाहरण है।

संविलयन (Absorption)—इस दशा में कोई नई कम्पनी निर्मित नहीं की जाती, वरन् एक विद्यमान कम्पनी अन्य कम्पनी या कम्पनियों को क्रय करके अपने में मिला लेती है तो इसे संविलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यमान कम्पनी A Ltd. द्वारा B Ltd. के व्यापार को ले लिया जाता है तो यह संविलयन कहा जाएगा।

पुनर्निर्माण* (Reconstruction)—यह एक विद्यमान कम्पनी की पुनर्संरचना की स्थिति होती है, जो आन्तरिक या बाहरी हो सकती है।

विज्ञा वायर 14 (AS-14) में कुछ विभिन्न शब्दों को विस्तृत प्रकार से परिचयित किया गया है। कुछ शब्दों की विस्तृत प्रकार है—

- (1) **एकीकरण (Amalgamation)**—एकीकरण का लाभवाक्य कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले एकीकरण वा उपस्थिति पर लाभ होने वाले अन्य किसी विधियों के अन्तर्गत होने वाले एकीकरण से है। लाभवाक्य वाली या वा वा में अधिक विधियों वाला वायर होने वाले अन्य किसी विधियों के अन्तर्गत होने वाले एकीकरण से है। लाभवाक्य वाली या वा वा में अधिक विधियों वाला वायर होने वाली या वा वा में अधिक विधियों वाला वायर होने वाली है।
- (2) **हस्तान्तरक कम्पनी (Transferor Company)**—हस्तान्तरक कम्पनी का लाभवाक्य उस कम्पनी से है जिसमें विभिन्नी दूसरी कम्पनी वे होता है। विज्ञा वायर 14 लाभ होने के पूर्ण इसे विकेता कम्पनी के लाभ में जाता जाता था।
- (3) **हस्तान्त्री कम्पनी (Transferee Company)**—हस्तान्त्री कम्पनी का लाभवाक्य उस कम्पनी से है जिसमें हस्तान्तरक कम्पनी एकीकरण होता है। विज्ञा वायर 14 लाभ होने के पूर्ण इसे विकेता कम्पनी के लाभ में जाता जाता था।
- (4) **संरक्षण (Reserve)**—संरक्षण का लाभवाक्य उस लाभ से है जो प्रबन्धकों द्वारा उपलब्ध की अंतिम आय, प्राप्तियों वा अधिकारियों (जो या तो फूटीगत हो या आयात) से से विभिन्न वायावरण के विषय बनाये जाते हैं, परन्तु उन्हें या प्रभावितयों के अवगुण्यता या विभिन्नी द्वारा दायित्व देने विद्या गया संरक्षण घासित नहीं है।
- (5) **प्रतिक्रिया (Consideration)**—एकीकरण के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया का लाभवाक्य हस्तान्त्री कम्पनी द्वारा हस्तान्तरक कम्पनी के अंतर्गतस्थिती को अंकी एवं अन्य प्रतिपूर्तियों एवं अन्य सम्बन्धिती तथा रोकड़ के लाभ में जिसे जाने वाले भूगतान से है।
- (6) **जिति मूल्य (Fair Value)**—जिति मूल्य का लाभवाक्य सम्बन्धिती के उस मूल्य से है जिस पर सम्बन्धित का विनियोग एवं विकेता की जापकारी के पूर्णाधिक हो सकता है।

**एकीकरण के गुण उत्पत्ति
(MERITS AND VICES OF AMALGAMATION)**

एकीकरण के विभ. दोष हैं :

- (1) सीमांचल दे कर्त्ता—एकीकरण के कारण कर्मनियों के मध्य सीमे जारी आपसी प्रतिक्रियाएँ में कमी आ जाती है, और इसके द्वारा कर्त्तव्य की सुधार में दृढ़ि हो जाती है।
- (2) सीमा पर उत्पादन—एकीकरण के कारण व्यवसाय में उत्पादन वही पैमाने पर होता है जिसके द्वारा व्यवसाय का उत्पन्न दूर जाता है। उत्पादन के साथ का इसीले उत्पादन सीमे के कारण उत्पादन जागत में कमी जाती है।
- (3) लाही दे कर्त्ता—एकीकरण के कारण व्यवसाय से सम्बद्धित अल्पक व्यक्ति के बाहरी में कमी जाती है। एकीकरण के कारण इस व्यवसाय काहीं में सुधारना एवं समझना के कारण अपनायी में कमी आ जाती है।
- (4) दूसी दे दृढ़ि—एकीकरण के कारण कर्मनियों की पूर्ति में पहले की अपेक्षा बाजा बड़ु जाती है और उसे अधिक मात्रा दूसी दर दरवे में कठिनाई वही होती है।
- (5) उत्पन्न एवं नियन्त्रण—एकीकरण के कारण कर्मनियों को कई कृषक कर्मनियाँ भी प्राप्त होते हैं जो अपने उत्पन्न के दूसीकृत कर्मनियों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने में सहायता होती है। वीलियों का नियन्त्रण एवं उनका कियावन्तवान् अधिक रूप से जाता है।
- (6) विशेषज्ञों की सुविधा—एकीकरण के द्वारा विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त काना आसान हो जाता है क्योंकि वे कर्मनियाँ के व्यवसाय पूर्ति की उत्पन्नवाता के कारण विशेषज्ञों को विशुद्ध कर सकती हैं।
- (7) विशेषज्ञ दे सुविधा—एकीकरण के पश्चात् उत्पाद का वितरण सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि एकीकरण के पश्चात् विशेषज्ञों को पृथक् वितरण केवल की आवश्यकता नहीं होती है।
- (8) फूटर पर नियन्त्रण—एकीकरण के कारण एकीकृत कर्मनियों वाजारी स्थिति पर अपना नियन्त्रण रखने में सफल होती है जबकि दूसी दे उत्पाद की दृष्टि को वही बाजा में प्रभावित करने में सफल हो जाती है।

एकीकरण के दोष

(DEMERITS OF AMALGAMATION)

एकीकरण के विभ. दोष हैं :

- (1) इकाई तथा सम्बन्ध—एकीकरण के कारण कर्मनियों का आकार बड़ा जाता है। इस कारण एक वही औद्योगिक कर्मनी हु जोकि इकाई तथा सम्बन्ध के कारण उसे सफलतापूर्वक चलाना सम्भव नहीं होता है।
- (2) अवश्योग—कर्मनियों का एकीकरण के कारण एक से अधिक कर्मनियों के प्रबन्धकों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। इस तरह इकाईकारों में आपसी महादोग की भावना नहीं होगी तब तक व्यवसाय को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। इकाई के कारण व्यवसाय की प्रगति में भी बाधा होती है।
- (3) सूच मे दृढ़ि—एकीकरण के कारण प्रतियोगिता में कमी तो आती है, परन्तु वह पहले एकाधिकार को भी प्रेरित करती है। इस एकाधिकार को व्यवस्था से वहि कोई सम्भव एकाधिकार की दशा प्राप्त करती है तो वह संस्था याहांको से अपने उत्पाद का बड़ा इस सूच दस्तूर कर सकती है।
- (4) दूसी दे नियन्त्रण—एकीकृत संस्थाएँ वस्तु की पूर्ति में कमी दिखाकर याहांको को उत्प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार उत्पन्न में कमी करके याहांको को परेशान किया जा सकता है।
- (5) अति-पूंजीकरण—एकीकरण के कारण व्यवसाय की कुल पूर्ति में दृढ़ि हो जाती है तथा कुछ व्ययों में कमी हो जाती है और इस कारण कुछ व्यय का प्रदोग सम्भव नहीं हो पाता है। इस कारण अति-पूंजीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिस से नियन्त्रण करना सम्भव नहीं हो पाता।
- (6) छोटे व्यवसायों को नुकसान—एकीकरण के कारण एकीकृत कर्मनियाँ अपने व्ययों पर व बाजार पर नियन्त्रण स्थापित होने में सफल हो जाती हैं और इस कारण छोटे व्यवसायियों को इन वही कर्मनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने में कठिनाई का अनुभव होता है।
- (7) बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाई—एकीकृत कर्मनियों को बड़े पैमाने पर भी उत्पादन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु धम, वितरण, कर आदि की समस्या उत्पन्न होती है।